न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 147/2018 **दायर दिनांक : 03.08.2018**

ओमप्रकाश पुत्र श्री मलूराम जाति जाट निवासी चक 11 ई.ई.ए. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

.....**प्रार्थी**

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम

उपस्थितः

1. श्री अजय कुमार अरोड़ा, अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक : 06/08/2020**

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, पक्षकारों के अभिभाषक उपस्थित है, पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप में विचारण तथ्य पत्रावली इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. का वास्ते संशोधन खसरा नम्बर एवं भूमि इस कथन के साथ पेश किया कि उनके द्वारा रोही पींपासर तहसील सूरतगढ़ के ख.न. 128/7 की 20.00 बीघा बारानी भूमि जरिये बैयनामां मूलचंद पुत्र श्री बुधरमल से खरीद की गई थी जिसका नामान्तरण दर्ज नहीं होने से घोषणा का वाद किया गया व माननीय न्यायालय के पत्रावली सं. 72/98 निर्णय दिनांक 19.06.2002 द्वारा प्रार्थी को रोही पींपासर के ख.न. 128/7 की 20.00 बीघा का प्रार्थी को खातेदार घोषित किया गया। नामान्तरण भी दर्ज किया किन्तु जमाबंदी में उस समय ख.न. 128/7 में मात्र 0.291 है. का ही नोट दर्ज हुआ। इसके पश्चात प्रार्थी द्वारा पुनः धारा 136 एल. आर.ए. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें नामान्तरण संख्या 175 गल्त माना गया यह खसरा बाद में परिवर्तित होकर 128/25 की 3.618 है. व ख.न. 128/24 का 1.392 है. कुल 5.060 है. दर्ज होना चाहिये था। ख.न. 128/25 का 3.618 है. प्रार्थी के नाम दर्ज किये जोने के आदेश हुये किन्तु ख.न. 128/24 का 1.392 है. मामला अपील में विचाराधीन होने से दर्ज नहीं हुआ सम्वत् 2061 की जमाबंदी अनुसार पूर्व खसरा नम्बर प्रार्थी का नया ख.न. 128/25 = 3.618 है. ख.न. 128/24 का 1.392 है. कुल 5.060 है. है इसी भूमि पर प्रार्थी काबिज है इस पर प्रार्थी के विरूद्ध नाजायज काश्त की कार्यवाही हो रही है, इससे कब्जा प्रार्थी का साबित है। इस आधार पर ख.न. 128/25 व 128/24 जो रकबा राज दर्ज हो गये व वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 के खाता सं. 7 प्रार्थी के ख.न. 419/128 जो ख.न. 128/25 के स्थान पर बना = 3.618 है. व ख.न.

क्रमशः 2 पर......

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:01:41 IST
Reason: SelfAttested

418/28 जो ख.न. 128/24 के स्थान पर = 1.392 है. दर्ज होना चाहिये जो प्रार्थी के नाम ख.न. 401/128 दर्ज कर दिया गया जो संशोधन योग्य बताकर प्रार्थी को जमाबंदी रोही पींपासर तहसील सूरतगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2069 ता 2072 के खाता सं. 7 में संशोधन कर प्रार्थी के नाम अंकित भूमि ख.न. 401/128 की 5.060 है. के स्थान पर ख.न. 419/28 = 3.618 है. व 418/28 की 1.392 है. दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की गई।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब कर जवाब प्राप्त किया गया अप्रार्थी द्वारा जवाब में प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व की परिधि से बाहर होने के आधार पर प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की व मामला घोषणात्मक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत होने का बताया।

बाद आने जवाब तर्क सुने गये, प्रार्थी द्वारा लिखित तर्क दिनांक 12.12.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने रोही पींपासर ख.न. 128/7 में 20.00 बीघा भूमि क्रय की उक्त भूमि का वाद के माध्यम से खातेदार घोषित प्रकरण सं. 72/98 निर्णय दिनांक 19.06.2002 को कर दिया गया था। इसका नामांतरण भी दर्ज हुआ सम्वत् 2042 में ख.न. 128/7 दर्ज था जो सम्वत् 2060 तक चला सम्वत् 2061 में सम्वत् 2038 की सर्वे से नये खसरा नम्बर से जमाबंदी बनाई जिसमें ख.न. 128/7 के स्थान पर ख.न. 128/25, 128/24 बनाये किन्तु नामान्तरण 175 में पुराने ख.न. 128/7 का विवरण दिया जिससे जमाबंदी में 128/7 में 0.291 है. का ही अंकन हो सका इसके बाद 136 एल.आर.ए. का प्रकरण सं. 59/2011 पेश किया जिसमें नामांतरण सं. 175 निष्प्रभावी कर ख.न. 128/25 की 3.618 है. प्रार्थी के नाम दर्ज कर दिया, ख.न. 128/24 के बारे में विवाद होने पर 1.392 है. का नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ अपील का निर्णय प्रार्थी के हक में हो चुका है। नई जमाबंदी में ख.न. 128/25 का ख.न. 419/28 एवं 128/24 के स्थान पर 418/28 बना है। वर्तमान जमाबंदी में ख.न. 401/128 दर्ज कर दिया जो संशोधन योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जमाबंदी 2061 ता 72 के खाता सं. 7 में ख.न. 401/128 के स्थान पर 419/28 में 3.618 है. व 418/28 की 1.392 है. भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार राजस्व तहसीलदार ने तर्क दिया कि यह मामला विस्तृत विचारण का है धारा 136 भ–राजस्व की शुद्धियॉ दोनों पक्षों की स्वीकृति से भी हो सकता है, यह मामला विस्तृत विचारण कर वाद के निर्णय होने योग्य है। इसलिये वर्तमान प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

उभय पक्षों के तर्क सुनने के बाद तर्कों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का पठन व मनन करने के उपरान्त यह पाया जाता है कि धारा 136 एल.आर.ए. संक्षिप्त विचारण की कार्यवाही है एवं दोनों पक्षों को स्वीकार होने पर ही धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत आदेश प्रदान किये जाते है। इसमें नाम

क्रमशः 3 पर......

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:01:41 IST
Reason: SelfAttested

दुरूस्ती व पूर्व अंकन में हुये परिवर्तन को दुरूस्त किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में रोही पींपासर के ख.न. 401/128 में प्रार्थी 5.060 है. खातेदारी अंकित है यह भूमि किस ख.न. से बनी पूर्व जमाबंदी प्रस्तुत नहीं होने से स्पष्ट नहीं होता अदालत द्वारा घोषणा के वाद में दिये निर्णयों उससे पूर्व की स्थिति की जमाबंदी प्रस्तुत ना होने से स्थिति स्पष्ट नहीं होती यह मामला संक्षिप्त सुनवाई (Summary Trial) का नहीं बनता व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम की परिधि में नहीं आता। प्रार्थी नियमित वाद प्रस्तुत कर ही अनुतोष प्राप्त कर सकता है, जिससे पूर्ण सुनवाई कर निर्णय किया जाना उचित है, वर्तमान ख.न. की भूमि प्रार्थी के नाम कभी दर्ज रही हो स्पष्ट नहीं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार यह प्रकरण धारा 136 भ–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत विचारणीय नहीं है इसलिये इसे निरस्त किया जाता है, प्रार्थी सक्षम अदालत में भी अधिकारों की घोषणा हेतू वाद प्रस्तुत करने को स्वतंत्र है इस प्रार्थना पत्र में की गई टिप्पणी का विपरीत प्रभाव नियमित वाद पर नहीं होगा। प्रार्थना पत्र प्रार्थी क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया, पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 16:01:41 IST
Reason: SelfAttested